ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या 01, सेक्टर नॉलेज पार्क–4
ग्रेटर नौएडा–201310, उ0प्र0

संख्याः संस्था / का0आ0 / 2018 / 0063
दिनांकः 27 –12–2018

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04–12–2018 में ऐसे प्रकरण जिनका आबंटन 31–दिसम्बर–2011 तक का है तथा उन्हें पर्याप्त समय विस्तार दिया जा चुका है, अतः मात्र उन आबंटियों को समय विस्तार दिये जाने पर विचार किया गया जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है अथवा जो 31–जनवरी–2019 तक मानचित्र स्वीकृत एवं 31–दिसम्बर–2019 तक कार्यपूर्ति प्राप्त कर सकें। अतः प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04–दिसम्बर–2018 के अनुपूरक मद संख्या 113 / 10 में यह निर्णय लिया गया है कि ––

1. यह समय विस्तार 31–दिसम्बर–2011 या उससे पूर्व के ऐसे सभी आबंटनों जिनकी लीजडीड में उल्लिखित भवन निर्माण कर कार्यपूर्ति प्राप्त करने की समय सीमा, एवं यदि लीजडीड में उसका उल्लेख न किया गया हो तो ब्रोशर एवं तदोपरान्त समय विस्तरण के सम्बन्ध में जारी किये गये कार्यालय आदेश में उल्लिखित कार्यपूर्ति की समय–सीमा समाप्त हो चुकी है, पर ही लागू होगा तथा अधिकतम 31–दिसम्बर–2019 तक का समय विस्तार **31–दिसम्बर–2017 तक पूर्व कार्यालय आदेश के अनुसार दण्डशुल्क प्राप्त करने के उपरान्त** 01–जनवरी–2018 से 31–दिसम्बर–2018 तक प्रीमियम का 1.5 प्रतिशत प्रति माह एवं 01–जनवरी–2019 से 31–दिसम्बर–2019 तक प्रीमियम का 2.0 प्रतिशत प्रतिमाह के अनुसार दण्डशुल्क अग्रिम प्राप्त कर समय विस्तार प्रदान किया जाएगा।

2. उपरोक्त बिन्दु "1" से आच्छादित आबंटी को 31–01–2019 तक भवन मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। 31–01–2019 तक भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराने पर आबंटन / लीजडीड निरस्त कर दिया जाएगा।

3. उपरोक्तानुसार समय विस्तार प्रदान किये जाने का आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब कि आबंटी ने प्रीमियम, लीजरेन्ट, अतिरिक्त प्रतिकर एवं अन्य कोई देय हो, को अद्यतन समय विस्तार के आवेदन तक जमा करा दिया गया हो। किसी भी डिफाल्टर जिसमें 31–दिसम्बर–2017 से पूर्व के समय–विस्तार की धनराशि भी सम्मिलित है, के होते हुए समय विस्तार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. 31–दिसम्बर–2011 के उपरान्त हुए आबंटनों में समय विस्तार लीजडीड में उल्लिखित निर्माण अवधि, यदि लीजडीड में उसका उल्लेख न हो तो ब्रोशर में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्धारित अवधि में भवन निर्माण कर कार्यपूर्ति प्राप्त करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

5. 31–दिसम्बर–2011 से पूर्व के ऐसे आबंटन जिन्हें प्राधिकरण की 51वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08–नवम्बर–2004 के एजेण्डा मद 4 एवं 11 में जिन गतिविधियों को वाणिज्यिक श्रेणी में रखते हुए बिड के आधार पर आबंटन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, उन्हें यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

संस्थागत सम्पत्तियों में 31–दिसम्बर–2011 के उपरान्त समय–विस्तार दिये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु ऐसे समस्त आबंटी जिनका आबंटन 31–दिसम्बर–2011 या उससे पूर्व के हैं, और जिन्होंने भवन निर्माण कर कार्यपूर्ति प्राप्त नहीं किया है, को इस आदेश की प्रति प्रेषित कर दी जाए एवं प्राधिकरण की वेब साईट पर भी अपलोड किया जाए।

नियोजन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि कोई आबंटी यदि भवन मानचित्र के लिए नक्शा पास करने के लिए प्रस्तुत करता है तो उसपर डिफाल्टर, समय विस्तार एवं आबंटन की तिथि ज्ञात करने के लिए संस्थागत विभाग से अभिमत प्राप्त करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही करें तथा नक्शा पास करने के उपरान्त इस आशय की सूचना संस्थागत विभाग को अवश्य प्रेषित करें।

20.12.18

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

<u>प्रतिलिपि</u>

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष कार्याधिकारी, ग्रेटर नौएडा।
3. महाप्रबन्धक (वित्त) ग्रेटर नौएडा।
4. प्रभारी महाप्रबन्धक (परियोजना) ग्रेटर नौएडा
5. प्रभारी / उप महाप्रबन्धक (नियोजन), ग्रेटर नौएडा।
6. प्रबन्धक (सिस्टम्स), ग्रेटर नौएडा।
7. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी